न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 08/2024
उनवान : ग्राम पंचायत हिंगोनियाँ, पंचायत समिति जोबनेर, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर जरिये ग्राम विकास अधिकारी।

–निगरानीकार

बनाम

मनीष कुमार अग्रवाल पुत्र श्रीपाल अग्रवाल, निवासी– ग्राम हिंगोनिया तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।

– गैरनिगरानीकार

3. प्रकरण संख्या : 17/2024
उनवान :आम जनता हिंगोनिया, ग्राम हिंगोनियाँ, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर जरिये –
   1. श्री गोगराज चौधरी पुत्र स्वर्गीय श्री झूंथाराम निठारवाल जाति जाट निवासी ग्राम हिंगोनिया तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण।
   2. श्री ओम प्रकाश भार्गव पुत्र स्वर्गीय श्री मूलचंद भार्गव जाति ब्राहमण, निवासी हिंगोनिया तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ग्रमीण।
   3. रामावतार शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री ओंकारमल शर्मा निवासी हिंगोनिया निवासी हिंगोनिया तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण। हाल निवासी–111/419 अग्रवाल फार्म मानसरोवर, जयपुर।

–निगरानीकार

बनाम

1. श्री मनीष अग्रवाल पुत्र श्रीपाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी– ग्राम हिंगोनिया तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण।
2. ग्राम पंचायत हिंगोनियाँ, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण, जरिए सरपंच।
3. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत हिंगोनिया पंचायत समिति जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

– गैरनिगरानीकार

4. निर्णय दिनांक : 28/01/2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री रतन लाल गौड निगरानीकार की ओर से एवं अधिवक्ता श्री मदन लाल कुडी निगरानीकार ग्राम पंचायत हिंगोनिया की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री प्रभुसिंह राजावत गैर निगरानीकार की ओर से।

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

इस न्यायालय में विचाराधीन निगरानी संख्या 08/2024 एवं 17/2024 ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 16.12.2016 के विरूद्ध विचाराधीन है। उक्त दोनों निगरानीयों का मुख्य विवादक बिन्दु समान होने के कारण दोनों पत्रावलियों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैर निगरानीकार मनीष अग्रवाल ने दिनांक 05.04.2016 को ग्राम पंचायत हिंगोनियाँ में पट्टा देने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। ग्राम पंचायत हिंगोनियों ने गैर निगरानीकार संख्या–1 को चबूतरे की भूमि के नाम पर सरकारी चौक और आम रास्ता की भूमि का पट्टा दिनांक 16.12.2016 को जारी किया है। ग्राम पंचायत हिंगोनियों ने गैर निगरानीकार संख्या–1 को जारी पूर्व पट्टा संख्या– 32 एवं गैर निगरानीकार संख्या–1 की पत्नी श्रीमती संजु देवी के नाम से जारी पूर्व पट्टा संख्या–33 के आगे की सरकारी चौक व आम रास्ता की भूमि का जारी किया है। ग्राम पंचायत हिंगोनियों के रिकॉर्ड में गैरनिगरानीकार संख्या–1 के द्वारा प्रस्तुत कोई प्रार्थना पत्र नही है। ग्राम पंचायत में पट्टा संख्या–15 के बाबत कोई पत्रावली नहीं खोली गई। पट्टा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार का नोटिस सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है, न ही किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई नोटिस चस्पा किया गया है तथा सर्वसाधारण से किसी प्रकार की कोई आपत्तियाँ नहीं मांगी गई। सर्वसाधारण से किसी प्रकार की कोई आपत्तियाँ नहीं मांगी गई। मौका रिपोर्ट में कोई दिनांक व समय भी अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत ने फैसले के अंत में इबारत भी जोड़ी है कि "पत्रावली नंबर से कम होकर कागजात दफ्तर दाखिल हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार परिवार का कोई भी हकदार शेष रह गया है तो इस भूखंड के पट्टे का हकदार होगा।" यह इबारत बाद में जोड़ी हुई लगती है क्योंकि यह इबारत पत्रावली दाखिल दफ्तर होने की अंतिम लाइन के बाद जोड़ी गई है। गैरनिगरानीकार श्री मनीष अग्रवाल ने द्वैषी भावना से प्रार्थी/निगरानीकार के पिता श्री औंकारमल के नाम से 70 साल पहले जारी किये गये पट्टे को निरस्त कराने के लिए न्यायालयए. डी. एम. प्रथम जयपुर की अदालत में निगरानी संख्या–240/2022 प्रस्तुत की गयी थी। गैरनिगरानीकार पक्ष की उक्त निगरानी को न्यायालय द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2024 को सारहीन होने से खारीज कर दिया गया है। पंचों की निरीक्षण रिपोर्ट में पंचों ने स्वयं का कोई नक्शा नहीं बनाया, जिससे मौके की सही नाप जोक नहीं आ सकी। लेकिन चबूतरे दर्शाई गई भूमि जो सरकारी चौक व आम रास्ते की थी, का पट्टा जारी नहीं किया गया। मौका रिपोर्ट अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा की गई है। लेकिन गैर निगरानीकार पक्ष द्वारा मिली भगत करके नियुक्त पंचायत आदेश के विरुद्ध जाकर अपने हितबद्ध और मिलने वाले लोगों से मौका रिपोर्ट कराई गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा तय पंचगण मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर वाले पंचगण नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा 6 पंचगण का मौका कमीशन रिपोर्ट देने हेतु बनाया गया था जबकि उक्त मौका कमीशन में तय किये गये पंचगणों में से केवल दो के ही हस्ताक्षर हैं और श्री गोमा राम नये पंच के हस्ताक्षर है जो पंचायत के आदेश से भिन्न पंच के रूप में किये हुए हैं। उक्त कार्यवाही का ग्राम पंचायत की बैठक में बाद में भी कभी भी अनुमोदन नहीं किया गया है। नारायण शर्मा के हस्ताक्षर संजू देवी व मनीष अग्रवाल की निरीक्षण रिपोर्ट में अलग अलग किये हुऐ प्रगट होते है। मौका रिपोर्ट में ग्राम पंचायत व पंचायत समिति का नाम, कोई दिनांक व समय, मौका मुआयना करने वाले किसी भी पंच का नाम आदि अंकित नहीं है और बी.डी.ओ. का नाम, तिथि व हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। कमीशन की मौका रिपोर्ट में संदर्भित भूमि की बिक्री पंचायत द्वारा करने अथवा नहीं करने की कोई अनुशंषा अंकित नहीं है। आपत्ति नोटिस पर कोई क्रमाक अंकित नहीं है। उक्त पट्टे के संदर्भ में निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत की गई शिकायत पर शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायतीराज विभाग के द्वारा जांच दल का गठन किया जाकर जांच करवाई गई। जांच दल एवं शासन सचिव पंचायतीराज विभाग द्वारा सभी दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर निर्णय लेकर आदेश दिनांक 22-02-2024 द्वारा निगरानीधीन पट्टा सहित गैरनिगरानीकार पक्ष द्वारा इसी प्रकार से जारी करवाये गये कुल चार पट्टे निरस्त करने के आदेश जारी किये हुए हैं।

अन्त में निवेदन किया गया है कि पट्टा संख्या– 15 दिनांक 16–12–2016 को व इससे संबंधित सम्पूर्ण आदेश कार्यवाही निरस्त फरमावें।

निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित है कि निगरानीधीन आदेश व पट्टा की नकल के लिए आवेदन प्रार्थी ने गैरनिगरानीकार सख्या 3 के समक्ष पूर्व में ही प्रस्ततु कर दिया था, परन्तु ग्राम पचायत हिंगोनिया के लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी ने प्रार्थी को सपूर्ण नकल नहीं दी। प्रार्थी द्वारा दिनाक 20–09–2023 आयुक्त एवं शासन सचिव, पचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर में शिकायत प्रस्तुत की गई। आयुक्त एव शासन सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा गठित जांच दल ने पूर्ण जांच करके प्रार्थी की शिकायत को सही माना और निगरानीधीन पट्टा को शून्य एव अवैध मानकर आदेश दिनांक 22–2–2024 के माध्यम से कार्यवाही की गई है, जिसमें निगरानीधीन पट्टे को भी खारिज करवाये जाने के लिए आदेश दिए गये। प्रार्थी को दिनांक 03–05–2024 को पूर्ण सूचनाएं सूचना के अधिकार के तहत लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा उपलब्ध कराई गई, जिसकी पूर्ण जानकारी होने पर निर्णय व पट्टा की जानकारी की दिनांक 03–05– 2024 से भी निगरानी अन्दर मियाद प्रस्तुत है। ग्राम पंचायत ने अवगत कराया कि पट्टा संख्या 15 की पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा मात्र पट्टा ही उपलब्ध है। निगरानीधीन आदेश अधीनस्थ ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा नियम विरूद्ध और बिना क्षेत्राधिकार के है, जो शून्य है तथा कानून के विरूद्ध है. इस प्रकार के आदेश के विरूद्ध निगरानी की कोई मियाद नहीं होती है। वैसे भी विधि विरुद्ध आदेशों के विरुद्ध मियाद का बिन्दू लागू नहीं होता है, क्योंकि निगरानीधीन आदेश व पट्टा प्रथम द्रष्टा ही शून्य है। अन्त में निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया है।

निगरानी के संलग्न निगरानीकार ने निगरानीधीन पट्टा संख्या 15 की प्रमाणित प्रति व अन्य संबंधित दस्तावेजात की प्रति पेश की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी गैरनिगरानीकार जारी किये गये तथा मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया। गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रभु सिंह राजावत ने वकालतनाम पेश किया।

गैरनिगरानीकार संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित किया है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दिनाक 18.01.2024 को जांच कमेटी के जांच प्रतिवेदन अनुसार मनीष कुमार अग्रवाल व रामावतार शर्मा के बीच मौके पर ही दोनों के पुश्तैनी मकानों के बीच दीवार को लेकर विवाद है। जांच कमेटी ने अपने जांच प्रतिवेदन के मद संख्या 5 में लिखा है कि रामावतार शर्मा द्वारा लिखित उपलब्ध करवाये गये प्रश्नों के अनुसार ही सवाल जवाब व बयान लिये जाने हेतु जांच कमेटी को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। श्री रामावतार शर्मा द्वारा बार–बार जांच कमेटी पर पक्ष में जांच किये जाने हेतु अनुचित दबाव व हस्तक्षेप किया गया। श्री रामावतार शर्मा राजकीय लेखा सेवा के वरिष्ठ अधिकारी है, जिनके द्वारा ऐसा करना खेद का विषय होना अंकित किया है। उक्त सभी तथ्यों के मद्देनजर निगरानीकार द्वारा झूठी निगरानी, झूठे तथ्यों पर प्रस्तुत की गई है। मिन जबाबदाता विपक्षी संख्या–1 का पडोसी रामावतार शर्मा ने अपने दबाव में झूठी रिपोर्ट बनवाकर उक्त रिपोर्टो के आधार पर बिना किसी कानूनी तथ्य के निगरानी पेश की है। जो 7 वर्ष से अधिक के विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की है। जिसके बाबत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या– 13197 निर्णय दिनांक 16.11.2015 में पारित निर्णय अनुसार असामान्य विलम्ब से प्रस्तुत निगरानी ग्रहण नहीं की जा सकती। निगरानीकार ने ऐसा कोई तथ्य या

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रमाणित हो कि उक्त पट्टे की भूमि पर विपक्षी मनीष कुमार अग्रवाल का कब्जा ना हो। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि उक्त पट्टा संख्या 15 की भूमि पर विपक्षी के परिवार जन पैतृक रूप से काबिज चले आ रहे थे जिस पर पुख्ता चबुतरा, बैठक व बाउण्ड्रीवॉल का पूर्वजों के समय से निर्माण किया हुआ है। ऐसे कोई तथ्य या परिस्थितिया पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है कि निगरानीकार को उक्त पट्टे की जानकारी नहीं रही हो। उक्त पट्टा नियमानुसार ही ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा ही जारी किया गया है। जिससे ग्राम पंचायत को पट्टा संख्या 15 की जानकारी दिनांक 16.12.2016 से ही है। उक्त विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य नहीं है। जिससे प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम 1963 विधिक प्रावधानों के विपरित प्रस्तुत्त होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि विपक्षी/गैर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व कानूनी बिन्दुओं के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम 1963 खारिज किया जाकर मूल अपील को मियाद बाहर होने से खारिज की जावें।

पत्रावली वास्ते बहस नीयत की गयी। निगरानीकार आम जनता हिंगोनिया की ओर से जरिये अधिवक्ता लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जिसमें अंकित किया गया है कि उक्त पट्टे के संदर्भ में रामअवतार शर्मा की ओर से प्रस्तुत की गई शिकायत पर शासन सचिव एवं आयुक्त पचायतीराज विभाग के द्वारा जाच दल का गठन कर जांच उपरान्त राज्य सरकार द्वारा सक्ष्म स्तर पर निर्णय लेकर आदेश क्रमांक एफ4 पट्टा जांच/विधि/ /प राज 2023 दिनांक 22.02.2024 द्वारा निगरानीधीन पट्टा सहित गैरनिगरानीकार पक्ष द्वारा इसी प्रकार से ग्राम पंचायत हिंगोनियों से जारी करवाये गये कुल चार पट्टे निरस्त कराने के आदेश जारी किये हुए हैं। जिसकी पालना में ग्राम पंचायत हिंगोनियाँ द्वारा भी चार निगरानियों प्रस्तुत की हुई हैं। ग्राम पंचायत हिंगोनियों के रिकॉर्ड में गैरनिगरानीकार संख्या–1 के द्वारा प्रस्तुत कोई प्रार्थना पत्र नही है। ग्राम पंचायत में पट्टा संख्या–15 के बाबत कोई पत्रावली नहीं खोली गई। पट्टा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार का नोटिस सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है, न ही किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई नोटिस चस्पा किया गया है तथा सर्वसाधारण से किसी प्रकार की कोई आपत्तियाँ नहीं मांगी गई। सर्वसाधारण से किसी प्रकार की कोई आपत्तियाँ नहीं मांगी गई। मौका रिपोर्ट में कोई दिनांक व समय भी अंकित नहीं है। तथा पट्टे के शीर्ष भाग पर मिसल संख्या का कालम खाली छोड़ा गया है, केवल बक संख्या 7 पट्टा संख्या–15 एवं दायर दिनांक 05 अप्रैल 2016 ही अंकित है। पट्टा संख्या 33 में श्रीपाल का शपथ पत्र ही दिनांक 1 दिसंबर 2009 के बाद का है, क्योंकि इस स्टांप पेपर के विक्रय की दिनांक 1 दिसम्बर 2009 स्टांप विक्रेता ईश्वर लाल दुकान न– 113 जौहरी बाजार जयपुर अंकित की हुई है, तो उस शपथ पत्र के आधार पर पंचायत ने दिनांक 20 अक्टूबर 2009 को ही वह इबारत कैसे लिख दी। पंचायती नोटिस का सार्वजनिक प्रकाशन नही किया गया तथा ना ही सार्वजनिक स्थान पर चस्पांदगी की गई, आपति नोटिस पर कोई डिस्पेच संख्या या नोटिस जारी करने की दिनांक अंकित नहीं है। मौका रिपोर्ट में रिपोर्ट ग्राम विकास अधिकारी को किस दिनांक को प्रस्तुत की गई अंकित नहीं है और बी डी ओ का नाम, तिथि व हस्ताक्षर कुछ भी अंकित नही है। मौका रिपोर्ट किस दिनाक को सरपंच को ग्राम पंचायत की बैठक में पेश करने हेतु प्रस्तुत की गई, इसका अंकन नही है। मौका रिपोर्ट में ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण करने की आज्ञा की तारीख का कॉलम भी रिक्त पड़ा हुआ है। कमीशन की मौका रिपोर्ट में संदर्भित भूमि को बिकी पचायत द्वारा करने अथवा नही करने की कोई अनुशंषा अंकित नहीं। है। मौका रिपोर्ट में दिनाक का कॉलम रिक्त है

और ग्रा. वि. अ. (सचिव) के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। इस प्रकार इस पट्टे हेतु बनाई गई मौका रिपोर्ट संदिग्ध है एवं विधि सम्मत नहीं है। निगरानीकार द्वारा दिनांक 20-09-2023 को आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायती राज विभाग में शिकायत प्रस्तुत की गई। जिसकी गठित दल ने पूर्ण जांच करके प्रार्थी की शिकायत को सही माना और निगरानीधीन पट्टा को शून्य एवं अवैध मानकर आदेश दिनांक 22-2-2024 के माध्यम से कार्यवाही की, जिसमें निगरानीधीन पट्टे को भी खारिज करवाये जाने के लिए आदेश दिए गये। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम में लेजिसलेसन ने मियाद का कोई प्रावधान नहीं रखा है। अतः पट्टा संख्या 15 दिनांक 16.12.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की S.B. Civil Writ Petition No. 1688/83 चिमन लाल बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के न्यायिक दृष्टांत का उल्लेख किया है।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ग्राम पंचायत हिंगोनिया ने दौराने बहस कथन किया कि विपक्षी संख्या 1 ने पंचायती राज एक्ट 1994 एवं 1996 के नियम 142 से 157 की अवहेलना करते हुये निगरानीधीन पट्टा संख्या 15 दिनांक 16.12.2016 क्षेत्रफल 54.16 वर्गगज का जारी करवा लिया। पट्टा जारी करने के संदर्भ में कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में नहीं है। गैरनिगरानीकार के पुश्तैनी मकान के आगे का खाली बरामदा ग्राम पंचायत की अमूल्य भूमि है, जिसका नियम 157(2) में पट्टा जारी करवा लिया जबकि उक्त पट्टे को पंचायतीराज अधिनियम 1996 के तहत डीएलसी दर की 25 प्रतिशत राशि वसूल की जानी चाहिये थी। किन्तु उक्त पट्टा मात्र 200 रुपये पट्टा शुल्क लेकर जारी कर दिया गया। उक्त खाली बरामदे का पट्टा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पट्टे से संबंधित मिसल आदि के संधारण के बिना पट्टा जारी कर दिया गया। पट्टे के संबंध में शिकायत शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायतराज विभाग की जॉच में जांच दल द्वारा निगरानीधीन पट्टा निरस्त करने हेतु लिखा गया। अतः निगरानीधीन पट्टा खारिज फरमावें जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैरनिगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दिनाक 18.01.2024 को जांच कमेटी के जांच प्रतिवेदन अनुसार मनीष कुमार अग्रवाल व रामावतार शर्मा के बीच मौके पर ही दोनों के पुश्तैनी मकानों के बीच दीवार को लेकर विवाद है। जांच कमेटी ने अपने जांच प्रतिवेदन के मद संख्या 5 में लिखा है कि रामावतार शर्मा द्वारा लिखित उपलब्ध करवाये गये प्रश्नों के अनुसार ही सवाल जवाब व बयान लिये जाने हेतु जांच कमेटी को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। श्री रामावतार शर्मा द्वारा बार-बार जांच कमेटी पर पक्ष में जांच किये जाने हेतु अनुचित दबाव व हस्तक्षेप किया गया। उक्त सभी तथ्यों के मद्देनजर निगरानीकार द्वारा झूठी निगरानी, झूठे तथ्यों पर प्रस्तुत की गई है। मिन जबाबदाता विपक्षी संख्या-1 का पडोसी रामावतार शर्मा ने अपने दबाव में झूठी रिपोर्ट बनवाकर उक्त रिपोर्टो के आधार पर बिना किसी कानूनी तथ्य के निगरानी पेश की है। जो 7 वर्ष से अधिक के विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की है। निगरानीकार ने ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रमाणित हो कि उक्त पट्टे की भूमि पर विपक्षी मनीष कुमार अग्रवाल का कब्जा ना हो। वास्तविकता में उक्त पट्टा संख्या 15 की भूमि पर विपक्षी के परिवार जन पैतृक रूप से काबिज चले आ रहे थे जिस पर पुख्ता मजबूत बैठक व बाउण्ड्रीवॉल का पूर्वजों के समय से निर्माण किया हुआ है। ऐसे कोई तथ्य या परिस्थितिया पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है कि निगराकार को उक्त पट्टे की जानकारी नहीं रही हो। उक्त पट्टा नियमानुसार ही ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा ही जारी किया गया है। जिससे ग्राम पंचायत को पट्टा संख्या 15 की जानकारी दिनांक 16.12.2016 से ही है। उक्त विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा

एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या– 13197 निर्णय दिनांक 16.11.2015 में पारित निर्णय अनुसार असामान्य विलम्ब से प्रस्तुत निगरानी ग्रहण नहीं की जा सकती। अतः निगरानीकार की निगरानी मियाद होने से खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम अधिनियम की धारा 97 में परिसीमा हेतु प्रावधान नहीं हैं। तदानुसार निगरानीकार द्वारा निगरानी प्रस्तुतीकरण में विलम्ब को कण्डोन किये जाने योग्य है।

हस्तगत निगरानीयां ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 16.12.2016 के विरूद्ध विचाराधीन है। इस न्यायालय द्वारा मूल रिकार्ड मंगवाने पर ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा इस न्यायालय में केवल निगरानीधीन पट्टा संख्या 15 प्रेषित किया गया है। उक्त निगरानी स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा भी दायर की गई है। प्रकरण में पंचायती राज विभाग द्वारा शिकायत के संबंध में करवायी गयी जांच रिपोर्ट में अंकित है कि "श्री मनीष के पिताजी की पुश्तैनी भूखण्ड में तीन पट्टे (दो स्वयं एवं पत्नी के नाम) जारी किये गये हैं तथा एक दुकान का पट्टा भी पत्नी के नाम से जारी किया गया। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुरुप जारी किया जाना प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि श्री मनीष कुमार के पुश्तैनी मकान का पट्टा एक साथ जारी न किया जाकर टुकडों में जारी किया गया है। प्रथम दृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि श्री मनीष कुमार अग्रवाल के नाम से ग्राम पंचायत द्वारा 200 रुपये शुल्क लेकर दिनांक 05/04/2016 को 54.16 वर्गगज का चबूतरे का पट्टा जारी किया गया है। गैरनिगरानीकार मनीष कुमार एवं उनकी पत्नी श्रीमती संजू देवी ने पट्टा संख्या 32 व 33 के आवेदन पत्र पेश किये थे। उक्त आवेदन पत्रों के संलग्न नक्शों में चबूतरा दर्शाया जाकर पुराने कब्जे के आधार पर पट्टे हेतु आवेदन किया गया था, जिसे सरपंच एवं ग्राम पंचायत द्वारा चबूतरों को वाजिब नहीं मानकर नक्शे में दर्शाये गये चबूतरे के हिस्से को छोडकर शेष भूमि का पट्टा जारी किया गया था। किन्तु हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा उन्हीं चबूतरों का निगरानीधीन आवासीय पट्टा बाद में पृथक से जारी कर दिया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सार्वजनिक भूमि पर चबूतरे का आवासीय पट्टा जारी कर दिया गया। जबकि पंचायती राज नियमों में बरामदे या चबूतरे का आवासीय पट्टा जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा राजथान पंचायती राज नियमों के विरूद्ध अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर चबूतरा/बरामदा की भूमि पर आवासीय पट्टा जारी किया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर पंचायत हिंगोनिया द्वारा जारी निगरानीधीन पट्टा 15 दिनांक 16.12.2016 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की अवहेलना कर विधि विरूद्ध जारी होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर